ST. Case No.–30/2026 छ.ग. राज्य विरूद्ध याशुदास मानिकपुरी वगैरह

witness No. .....**01**.....For.....**..अभियोजन साक्ष्य**.....Deposition taken the .....**23–07–2026**.....Day of .....Witness's apparent age ... **45 वर्ष.....**

States on affirmation .....**शपथपूर्वक**.....My name is ....**गणेश राम साहू.**

son of ....**श्री जनक राम साहू.**....Occupation .**वाहन चालक**. ...

address:–**संजय पेट्रोल पंप सामने बलौदाबाजार, जिला बलौदाबाजार–भाटापारा, छ.ग.**

(समयः– 04.10 PM)

टीपः अभियुक्तगण को जिला जेल बलौदाबाजार से वी.सी. के माध्यम से उपस्थित किया गया।

मुख्य परीक्षण द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री संतोष कुमार कन्नौजे वास्ते अभियोजन

1. वी.सी. के माध्यम से उपस्थित आरोपीगण एवं हाजिर अदालत अभियुक्तगण को साक्षी के द्वारा पूछे जाने पर उसे पहचानना व्यक्त किया।

2. घटना लगभग 7–8 माह पूर्व की है। मैं ड्राईवरी का काम करता हूं। मैं ट्रक क्रमांक CG 08 AN 5111 को चलाता हूं। मैं घटना दिनांक को लगभग शाम 6–7 बजे लवन रोड बायपास होते हुए अपने घर खैरघटा बलौदाबाजार की ओर जा रहा था। दो मोटर सायकल में पांच व्यक्ति आकर मगरचबा में आकर मेरी गाड़ी ट्रक को रोक दिये थे। उसके पश्चात पांचों व्यक्ति रोककर मुझे गाली–गलौज कर रहे थे, उसमें से एक व्यक्ति गाड़ी में चढ़कर मोबाईल देने की मांग कर रहा था और मोबाईल नहीं देने पर मुझे चाकू से मार दिया। साक्षी से यह पूछे जाने पर कि किस आरोपी ने चाकू से वार किया, तो साक्षी ने बताया कि वी.सी. के माध्यम से उपस्थित काला टी–शर्ट पहने आरोपी ने मुझे चाकू मारा था, शायद उसका नाम वासु है।

3. चाकू आरोपी के द्वारा मारने से चाकू मेरे जांघ एवं हाथ में लगा था। उसके बाद आरोपीगण वहां से भाग गये, तब मैं शासकीय अस्पताल बलौदाबाजार ईलाज हेतु गया था,

तब थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार के पुलिस वाले शासकीय अस्पताल आये थे, तब मैंने घटना का रिपोर्ट दर्ज कराया था। मेरी रिपोर्ट देहाती नालसी **प्रदर्श पी–01** है,जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

4. पुलिस वालों के साथ मैं घटनास्थल पर गया था। पुलिस वालों ने मेरे बताये अनुसार घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया था। पुलिस नजरी नक्शा **प्रदर्श पी–02** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

5. पुलिस वालों ने तहसील बलौदाबाजार मुझे लेकर गये थे, वहां पर पहचान की कार्यवाही हुई थी। मैंने न्यायालय उपस्थित आरोपीगणों को पहचाना था। पहचान शिनाख्ती **पंचनामा प्रदर्श पी–03 एवं प्रदर्श पी–04** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

6. आरोपी मनोज निषाद, याशुदास मानिकपुरी, रितुराज यादव, प्रवीण भट्ठ ने मेरे समक्ष पुलिस वालों को कुछ नहीं बताया था। साक्षी को आरोपी मनोज निषाद का मेमोरंडम कथन **प्रदर्श पी–05** एवं आरोपी याशुदास मानिकपुरी का मेमोरंडम कथन **प्रदर्श पी–06**, आरोपी रितुराज यादव का मेमोरंडम **प्रदर्श पी–07** एवं आरोपी प्रवीण भट्ट का मेमोरंडम **प्रदर्श पी–08** दिखाये जाने पर उसके अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार करता है।

7. पुलिस वाले जब शासकीय अस्पताल बलौदाबाजार आये थे, तो मुझसे पूछताछ कर, बयान दर्ज किये थे तथा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के पश्चात भी पुलिस वाले मुझसे पूछताछ किये थे।

टीपः इसी स्तर पर अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा साक्षी मेमोरंडम कथन का समर्थन नहीं करने पर उसे पक्षद्रोही घोषित कर प्रतिपरीक्षण में पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गयी, साक्षी के पुलिस कथन के परिशीलन उपरांत दर्शित होता है कि वह अभियोजन का समर्थन नहीं कर रहा है। अतः पक्षद्रोही करने की अनुमति देते हुए प्रतिपरीक्षण

में प्रश्न पूछे जा सकने वाले प्रश्न पूछने की अनुमति दी गयी।

8. यह कहना गलत है कि पुलिस ने मेरे समक्ष आरोपीगण से कोई पूछताछ किये थे। साक्षी स्वतः कहता है कि न्यायालय में उपस्थित आरोपी मनोज निषाद का पूछताछ कर उसका बयान दर्ज किये थे।

9. यह कहना सही है कि आरोपी मनोज निषाद ने अपने मेमोरंडम कथन में बताया है कि याशुदास मानिकपुरी के द्वारा चाकू से ट्रक चालक को मारा है एवं उपयोग किये मोटरसायकल को रखा हूं, को बरामद करा देता हूं। यह कहना भी गलत है कि आरोपी याशुदास मानिकपुरी एवं रितुराज, प्रवीण भट्ठ ने अपने मेमोरंडम कथन में बताया था कि घटना में प्रयुक्त चाकू और मोटरसायकल को पलारी के आपराधिक घटना में जप्त किया गया है।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री बी. सी. कैवर्त्य वास्ते अभियुक्त प्रवीण एवं रितुराज</u>

10. यह कहना सही है कि घटनास्थल मुख्य मार्ग मगरचबा का है। यह कहना गलत है कि उक्त मार्ग पर लोगों का आना–जाना हमेशा लगा रहता है। यह कहना गलत है कि घटना के समय अंधेरा हो गया था। साक्षी स्वतः कहता है कि ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ था।

11. मैं सरकारी अस्पताल बलौदाबाजार में ईलाज के लिए भर्ती था, तब पुलिस वाले अस्पताल आये थे, तब मैंने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराया था। यदि उक्त बात मेरे पुलिस बयान **प्रदर्श डी– 01** में न लिखा हो तो मैं कारण नहीं बता सकता।

12. यह कहना सही है कि पुलिस वालों ने पूछताछ हेतु मुझे कोई नोटिस नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि जब मैं थाना गया था, तब आरोपीगण लॉकअप में थे। साक्षी स्वतः कहता है कि न्यायालय उपस्थित आरोपीगण बस थे।

13. यह कहना सही है कि आरोपी मनोज निषाद एवं सूर्यकांत जब थाना में थे, तब

हथकड़ी में थे।

14. यह कहना सही है कि जिस दिन मैंने थाने में आरोपी मनोज एवं सूर्यकांत को देखा था, उसके दूसरे दिन मुझे तहसील ऑफिस ले गये थे। यह कहना सही है कि एक हस्ताक्षर अस्पताल मेंकिया हूं व शेष हस्ताक्षर पुलिस थाने में किया हूं।

15. यह कहना सही है कि सभी दस्तावेजों पर क्या लिखा था, मैं नहीं पढ़ा था। पुलिस वालों ने विभिन्न दस्तावेजों में हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो, मैंने हस्ताक्षर कर दिया था। यह कहना सही है कि मेरे ड्राईविंग लाईसेंस पुलिस वालों के द्वारा मांग नहीं करने पर नहीं दिया था और न ही मैंने जप्ती कराया था।

16. यह कहना सही है कि पहचान कार्यवाही के समय जो अन्य व्यक्ति थे, उनमें एक ही कद–काठी, रंग–रूप एवं एक उम्र के नहीं थे। पहचान कार्यवाही के समय आरोपीगण के अलावा तीन और व्यक्ति थे। यह कहना सही है कि उस वक्त पुलिस वाले भी उपस्थित थे।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री तामेश्वर वर्मा वास्ते अभियुक्त मनोज निषाद एवं सूर्यकांत</u>

17. मैं हस्ताक्षर गणेश, गणेशराम साहू एवं गणेशराम लिखकर करता हूं। साक्षी का स्वतः कथन है कि बैंक में मेरा पूरा नाम गणेशराम साहू लिखा है, इसलिए मैं बैंक में गणेशराम साहू लिखकर हस्ताक्षर करता हूं। यह कहना सही है कि मेरा नाम गणेशराम सेन नहीं है।

18. यह कहना गलत है कि आरोपी मनोज निषाद ने पुलिस वालों को कोई कथन नहीं दिया है। यह कहना सही है कि घटना नवंबर माह की है। यह कहना भी सही है कि नवंबर माह में जल्दी अंधेरा हो जाता है। साक्षी स्वतः कहता है कि घटना दिन को अंधेरा नहीं हुआ था।

19. यह कहना सही है कि नवंबर महिने में 6–7 बजे शाम हो जाती है और अंधेरा हो जाता है। साक्षी स्वतः कहता है कि घटना के समय अंधेरा नहीं हुआ था। यह कहना सही है

कि मैंने रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज कराया है।

20. यह कहना सही है कि जब मैं थाना आया तब आरोपी मनोज एवं सूर्यकांत हथकड़ी में थे, तब पुलिस वालों ने बताया कि घटना में यह दोनों अभियुक्त भी शामिल थे।

21. यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने आरोपी सूर्यकांत से पूछताछ नहीं किया था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री ओंकार जायसवाल एल.ए.डी.सी. वास्ते अभियुक्त याशुदास मानिकपुरी</u>

22. यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने जब मेरा बयान प्रदर्श डी–01 दर्ज किया था, तब मैंने घटना का समय नहीं बताया था। यह कहना सही है कि मेरे निवासस्थल से घटनास्थल की दूरी 03 किलोमीटर है। यह कहना सही है कि मैंने घटना के संबंध में पुलिस को फोन से सूचना नहीं दिया हूं। साक्षी स्वतः कहा कि मैंने अपने ट्रक स्वामी को घटना के बारे में सूचित किया था, उसने पुलिस को सूचना दिया था। यह कहना सही है कि मैंने देहाती नालसी का रिपोर्ट शाम 06.30 बजे किया हूं।

23. यह कहना सही है कि मैंने अपने देहाती नालसी दर्ज करते समय जो बयान दिया था, उसमें घटना 06.30 का होना बताया था। यह कहना सही है कि घटनास्थल से हॉस्पिटल आने में मुझे 30 मिनट लगा था। यह कहना गलत है कि मैं घटना दिनांक को ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर चला गया था।

24. मैं अस्पताल से दिनांक 17.11.2025 को दोपहर में डिस्चार्ज होकर अपने घर चला गया था। यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने मेरे बताये अनुसार घटनास्थ्ल का नजरी नक्शा **प्रदर्श पी–01** नहीं बनाये थे।

25. मैं घटनास्थल बताने के लिए घटना के दूसरे दिन गया था। यह कहना सही है कि आरोपीगण का नाम घटना के पूर्व नहीं जानता था, मुझे बाद में उनका नाम पता चला था।

26. यह कहना गलत है कि मैं आरोपी याशुदास को फसाने के लिए झूठा कथन कर रहा हूं।

(समयः– 05:20 PM)

कथन वाचित/सत्य स्वीकृत मेरे निर्देशन में टंकित किया।

..... **सही/–**.....
साक्षी का हस्ताक्षर

सही/–
श्रीमती संगीता नवीन तिवारी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार (छ.ग.)

सही/–
श्रीमती संगीता नवीन तिवारी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
बलौदाबाजार (छ.ग.)

SANGEETA NAVIN TIWARI
Digitally signed by SANGEETA NAVIN TIWARI
Date: 2026.07.23 18:03:16 +0530